# कार्यालय परिवहन आयुक्त,
# उत्तर प्रदेश

संख्याः 1657 ए/2013–95ए/2013 लखनऊः दिनांकः अगस्त 12, 2013

## कार्यालय–ज्ञाप

परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन एवं भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य में हुए व्यय के समुचित उपयोग के परीक्षण हेतु जिला स्तर पर समुचित व्यवस्था स्थापित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर परिवहन विभाग के अंतर्गत समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संतोषजनक होने के परीक्षण हेतु निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है:–

1– संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता — सदस्य

2– संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर.ई.एस.) के अधिशासी अभियन्ता — सदस्य

3 - जिले का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) — सदस्य /सचिव

[संभागीय जिला मुख्यालय पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के साथ–साथ संभागीय परिवहन अधिकारी भी सदस्य रहेंगे]

जिले में परिवहन विभाग द्वारा संबंधित निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मैनेजर (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् उपरोक्तानुसार गठित समिति के द्वारा कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जायेगा। यही व्यवस्था द्वितीय किश्त तथा अंतिम किश्त का उपयोग होने पर दोहराई (repeat) जायेगी।

प्रत्येक किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा निर्धारित प्रारुप पर हस्ताक्षरित कर जिले के संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) (संभागीय जिला मुख्यालय पर संभागीय परिवहन अधिकारी) को उपलब्ध कराया जायेगा और संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा संतुष्ट होने पर इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को अपने नाम/पदनाम सहित प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

संबंधित जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अथवा संभागीय जिला मुख्यालय होने पर संभागीय परिवहन अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) का उत्तरदायित्व रहेगा कि वे उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा उपरोक्त समिति द्वारा दिये गये गुणवत्ता प्रमाण–पत्र समय पर परिवहन आयुक्त मुख्यालय में अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को उपलब्ध करायें।

परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) अथवा निर्माण कार्य के नोडल अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) का उत्तरदायित्व रहेगा कि उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही द्वितीय अथवा अंतिम किश्त की स्वीकृति हेतु शासन को मांगपत्र भेजा जाय। नोडल अधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व रहेगा कि वे संबंधित कार्यदायी संस्था एवं स्थानीय संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के साथ समन्वय करके समयान्तर्गत यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

इन आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(रजनीश गुप्ता)
परिवहन आयुक्त, उ0प्र0

.....2

पृ0सं0 1657 (1)ए/2013–समदिनांकित

प्रतिलिपि–

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के सम्पर्क करने पर उपरोक्तानुसार लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर.ई.एस.) के अधिकारियों को समिति में नामित करने का कष्ट करें।

2– अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)/वित्त नियंत्रक, मुख्यालय को अनुपालनार्थ।

3– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0.

4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0 एवं

5– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।

(रजनीश राणा)
परिवहन आयुक्त, उ0प्र0